SKU शोध संचार

(INTERNATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)

Impact Factor SJIF 2025 – 5.306

Vol-4, Issue-2 April - June 2026 E-ISSN: 2584-2900

प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक विद्यालय का सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक अध्ययन

संजय कुमार द्विवेदी
सह-प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर (म.प्र.)

सारांश

वास्तविकता तो यह है कि सबके लिए शिक्षा अभियान का जो बजट आता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा प्रचार प्रसार विज्ञापन में खर्च कर दिया जाता है जिसके लोग लुभावने नारों से ग्राम समाज एवं वहां के निवासियों को कोई फर्क नहीं पड़ता 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया है यदि इस पर नजर डालें तो यह सिर्फ 6 से 14 वर्ष के आय वर्ग की बात करता है इसमें जीरो से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शामिल नहीं किया गया है सुनने में हंसी आती है परंतु यह सच है कि गर्भाशय से ही शिक्षा प्रारंभ हो जानी जानी चाहिए क्योंकि गर्भाशय से 6 वर्ष तक की आयु में ही बच्चों का अधिकांश मानसिक विकास हो जाता है बल्कि कुछ मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्रियों का तो यहां तक कहना है कि बालक का भविष्य इसी काल में निश्चित हो जाता है हमारे पौराणिक ग्रंथ में अभिमन्यु का उल्लेख मिलता है कि उसने चक्रव्यूह को भेदना मां के गर्भ में ही सीखा था इसलिए इस काल की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

कुंजी शब्द

प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, शिक्षा, समाज, शिक्षित नागरिक, विकास।

प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आधा शीला हो कही जाती है क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास शिक्षा से होता है व्यक्ति से मिलकर समाज बनता है समाज से राष्ट्र इस प्रकार वही राष्ट्र

विकसित हो सकता है जहां के नागरिक शिक्षित होंगे शिक्षा अतीत की उपलब्धियां तथा वर्तमान परिस्थितियों का संधि स्थल ही नहीं बल्कि ऐसा आलोक भी है जिसमें से भविष्य की रूपरेखा निकलती है तभी तो राष्ट्र कभी मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा है -

सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में।
शिक्षा बिना ही पड रहे हैं आज हम क्लेश में।।
शिक्षा बिना कोई कभी बनता नहीं सतपात्र है।
शिक्षा बिना कल्याण की आशा दुराशा मात्र है।।

वर्तमान समय में आर्थिक विकास आवश्यक है और विकास के लिए प्रत्येक नागरिक का कार्य कुशल शिक्षित धनोपाजर्न के योग होना उतना ही आवश्यक है जितना कि किसी प्यासे के लिए जल इस बात से भी यही सिद्ध होता कि शिक्षा प्राचीन काल में जितनी महत्वपूर्ण थी वर्तमान में उतनी आवश्यक है उतनी ही भविष्य के लिए अपरिहार होगी जो समाज या देश जितना अधिक शिक्षित व कुशल है वह उतना ही खुशहाल व संपन्न है जापान जैसा छोटा सा देश विश्व स्तर पर सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है जो अपनी सूद्रढ़ शिक्षा पर तकनीकी विकास के कारण ही देखा जाता है अर्थात विकास का मुख्य पैमाना शिक्षा ही है।

अनिवार्य शिक्षा के संदर्भ में संवैधानिक उपाय

भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत 45 वें अनुच्छेद में 14 वर्ष तक के बच्चे की अनिवार्य निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है की गई थी और संविधान लागू होने के 10 वर्ष की अवधि में लक्ष्य प्राप्ति का संकल्प लिया गया था लेकिन कई बार इस अवधि का विस्तार करने के बावजूद लक्ष्य प्राप्त न हो सके जिससे पुनः 28 नवंबर 2002 को 86 वां संविधान संशोधन पारित कर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को उनके मौलिक अधिकार के रूप में धारा 21(ए) उपबंध के तहत घोषित कर दिया गया है।

Vol-4, Issue-2 April - June 2026 E-ISSN: 2584-2900

अनिवार्य शिक्षा के संदर्भ में विश्व स्तरीय प्रयास

स्मर्णीय है कि सभी के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के संबंध में विश्व स्तर पर जॉमेतियन कॉन्फ्रेंस 1990 के घोषणा पत्र में सभी के लिए शिक्षा की विश्व व्यापी घोषणा की गई थी सन 2000 ई. में दक्षिण अफ्रीका के सोनेगल की राजधानी डकार में विश्व शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के गुणवत्ता पूर्वक सार्वभौम अनिवार्य एवं निशुल्क प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को अपने-अपने देश में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निम्न छह प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए थे। वर्ष 2010 तक 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को उपयोगी एवं प्रासंगिक शिक्षा उपलब्ध कराना।

1- सऩ 2003 तक विद्यालयों शिक्षा गारंटी केदो वैकल्पिक विद्यालयों शिविरों में सभी बच्चों का प्रवेश निश्चित करना।
2- सन 2007 तक सभी बच्चों(छात्राओं/छात्र) की कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लें ।
3- सन 2010 तक सभी बच्चों की कक्षा 8 तक की उच्च प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लें।
4- जीवन के लिए शिक्षा पर जोर देते हुए संतोष प्रद गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना
5- प्राथमिक स्तर पर सन 2007 तक सभी लिंग संबंधी तथा सामाजिक असमानताओं को दूर करना।

भारत में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की स्थिति- स्पष्ट है कि भारत इनमें से कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका भारत सरकार के द्वारा भारी मात्रा में सबके लिए शिक्षा अभियान पर और आयकर दाताओं से प्राप्त (CESS) का प्रयोग किया जा रहा है किंतु स्थित पूर्णता: संतोषजनक अनुभव नहीं की जा रही है कई अच्छे प्रयोग राज्यों द्वारा संचालित विद्यालयों में किया जा रहे हैं जो की प्रशंसनीय है जैसे कोल्हापुर महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश द्वारा विद्यालय से बाहर के छात्रों के लिए विशेष व्यवस्थाएं घुमंतू विद्यालय।

भारत सरकार के एक दस्तावेज - चैलेंज आफ एजुकेशन (1985-86) में एक महत्वपूर्ण व्याख्या की गई है सभी शिक्षक पढ़ाई और सभी शिक्षार्थी पढ़े तो शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध सुधर सकता है लेकिन शिक्षा व्यवस्था के प्रबंधन में कोई सुधार नहीं हो पाया कारण स्पष्ट है कि सरकार की सोच भ्रमक मान्यताओं पर टिकी हुई है पहली मान्यता शिक्षा के मौलिक अधिकार का दावा करने वाले 86 संविधान संशोधन के क्रियान्वयन की मांग को लेकर है शिक्षा किस विधि से दी जाए? जिसकी जिम्मेदारी केंद्र व राज्य दोनों सरकारों की है क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1993 में दिए गए फैसले के फलस्वरूप 14 वर्ष आयु तक के बच्चों की शिक्षा देने की जिम्मेदारी का निर्वाह राज्य कानून ही करता है यानी केंद्र की समता मूलक गुणवत्ता पूर्ण स्कूली शिक्षा की जगह राज्य के गरीब बच्चों को घटिया दर्जे की शिक्षा वैकल्पिक पाठशाला शिक्षा गारंटी योजना पैरा टीचर आदि रखने का फैसला कर लिया गया है जिसके वैधानिकरण हेतु संविधान संशोधन करवा करके नए प्रावधान जोड़े जा रहे हैं सबके लिए शिक्षा अभियान में स्कूल के समानांतर घटिया दर्जे की शैक्षिक धाराओं को आधार बनाया गया है एनसीईआरटी द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों को पत्राचार माध्यम से शिक्षा देने का प्रस्ताव दिया गया है यानी शिक्षक नहीं डाकिया ही सब छात्रों को शिक्षित कर दें अगर साहित्य या किताबें ही छात्रों को शिक्षित करने में समर्थ होती है तो वैदिक काल से वर्तमान काल तक गुरु की आवश्यकता एवं महत्व शिक्षा में ना होता कहा भी गया है गुरु बिना ज्ञान नहीं बिन सतसंग विवेक न होई कहने का आशय है की जन्म से ही मॉ शैशव कल से पिता बाल्यकाल में शिक्षक किसी न किसी रूप में गुरु की भूमिका का निर्वाह करते हैं यदि आज की आधुनिक शिक्षा नवाचार में शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत अध्ययन अभिक्रमित अनुदेशन की वीडियो का विकास किया गया है किंतु इसकी भी अपनी सीमाएं हैं जिसमें विद्यार्थी स्वयं अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री किताबें तकनीकी उपकरणों कंप्यूटर आदि के माध्यम से सीख सकते हैं परंतु बालक द्वारा एक मानसिक परिपक्वता का स्तर प्राप्त करने पर तथा कुछ विशेष रूची कर विषय वस्तु में ही सफलतापूर्वक स्वाध्ययन किया जा सकता है।

वर्तमान स्थिति- वर्तमान भारत में 6 से 14 वर्ष के लगभग 4 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते इसमें से अधिकांश बालिकाएं हैं जबकि माना यह जाता है कि बालक के शिक्षित होने पर केवल एक परिवार शिक्षित होता है बालिका के शिक्षित होने पर दो परिवार शिक्षित होते हैं स्कूली शिक्षा से वंचित इन बच्चों को सस्ती एवं घटिया दर्जे की शिक्षा से निपटा देने की सोच को विश्व बैंक का पूरा समर्थन मिला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को मुद्रा कोष (IMF) द्वारा निर्देशित संरचना समायोजन कार्यक्रमानुसार इसलिए भारत सरकार को निर्देशित किया गया है कि शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण सेवाओं पर न्यूनतम धनराशि व्यय करें दूसरा मिथक शिक्षा के वित्तीय प्रावधान को लेकर है सभी बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रति वर्ष 9800 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि का इंतजाम करने के लिए वायदा किया गया है लेकिन केंद्र सरकार की तमस मजूमदार समिति (1999) रिपोर्ट के अनुसार देश के आधे बच्चे जो स्कूली शिक्षा से बाहर है उन्हें गुणवत्ता पूर्ण स्कूली शिक्षा हेतु 14000 करोड़ प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त धनराशि से उपलब्ध करानी होगी यह रकम भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मात्र 0.78 प्रतिशत है अर्थात 100 रुपए में केवल 78 पैसे है इसकी तुलना में 86 वें संविधान संशोधन में जिस धनराशि का प्रावधान किया गया है वह भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मात्र 0.35 प्रतिशत है अर्थात आधे से भी काम लेकिन हद तो तब हो गई जब 2002- 03 में प्रारंभिक शिक्षा के मध्य के अतिरिक्त आवंटन में मात्र 728 करोड रुपए की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का महज 0.04 प्रतिशत था वास्तविकता तो यह है कि सबके लिए शिक्षा अभियान का जो भी बजट आता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा प्रचार-प्रसार विज्ञापन में खर्च कर दिया जाता है जिसके लोक लुभावने नारों से ग्राम समाज एवं वहां के निवासियों को कोई फर्क नहीं पड़ता 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया यदि इस पर नजर डालें तो यह सिर्फ 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की बात करता है इसमें जीरो से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शामिल नहीं किया गया और सुनने में हंसी आती है परंतु यह सच है कि गर्भाशय से ही शिक्षा प्रारंभ की जानी चाहिए क्योंकि गर्भाशय से 6 वर्ष तक की आयु में ही बच्चों का अधिकांश मानसिक विकास हो जाता है बल्कि कुछ मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्रियों का तो यहां तक कहना है कि बालक का भविष्य इसी काल में निश्चित हो जाता है हमारे

पौराणिक ग्रंथ में अभिमन्यु का उल्लेख मिलता है कि उसने चक्रव्यूह को भेदना मां के गर्भ में ही सीखा था इसलिए इस कल की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए यदि हमने इस काल में बालक के स्वस्थ शरीर विकास पोषण तथा अच्छे वातावरण का ध्यान रख सके तो बालक का मानसिक विकास भी अच्छा होगा बाल पुष्टाहार हर जननी सुरक्षा जच्चा बच्चा हेतु अनेक योजनाएं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है परंतु उनकी पोषण सामग्री ब्लैक कर पशुओं का आहार बन रही है शिक्षा विभाग को इस ओर ध्यान देने की तथा कुछ नई पहल करने की जरूरत है साथ ही शिशु के जन्म से 6 वर्ष आयु तक संस्कार के रूप में शिक्षा की दिशा में शोध कार्य होने चाहिए तथा सरकार एवं विश्व बैंक को इसके लिए अलग से धन आवंटित कर बौद्धिक संपदा के विकास हेतु प्रयास किए जाने चाहिए भ्रष्टाचार की जांच एवं इसके पकड़े जाने वाले वालों को सख्त सजा दी जाए ताकि इस मद का एक-एक पैसा बालकों के विकास में व्य व हो सके।

समीक्षा

शिक्षा व्यवस्था में भौतिक संसाधन जैसे स्कूल भवन एवं शिक्षण कक्ष खेल का मैदान विधुत शुद्ध पेय जल एवं शौचालय की उपलब्धता कंप्यूटर फर्नीचर ब्लैक ग्रीन बोर्ड ग्रीन बोर्ड सूचना पट व अन्य शिक्षा से संबंधित साज सज्जा सामग्री। मानवीय संसाधन शिक्षक कर्मचारी अधिकारी आदि से चलती है दोनों का अपना महत्व है परंतु मानवीय संसाधन का कुशल होना अधिक अपरिहार होगा जबकि भौतिक संसाधनों की उपलब्धता से शिक्षक को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है इसलिए मानवीय संसाधन शिक्षक पर अधिक ध्यान देकर तथा इन्हें कार्यशील एवं कुशल बनाकर शिक्षा के लक्ष्य की पूर्ति की जा सकती है शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो चूका है अभी तक किसी राज्य नें इसका अनुपालन नहीं किया सिर्फ और सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाकर आंकड़ों की पूर्ति की जा रही है प्राइवेट विद्यालयों में ना तो मानक के अनुरूप 30 :1 शिक्षक है और ना ही योग्य एवं प्रशिक्षित है जो है भी उसकी वेतन दैनिक मजदूरों से भी काम दिया जा रहा है ना तो उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार सुविधाएं मिल रही हैं और ना ही उनकी सेवा स्थाई प्रकृति की है जिससे उनका शिक्षण भी प्रभावित होता है या यद्यपि विभिन्न सरकारी एवं प्राइवेट सर्वे से प्राप्त निष्कर्ष से पता चलता है कि वर्तमान स्कूल सरकारी स्कूलों की तुलना में प्राइवेट

संस्थानों के छात्र-छात्राओं के परिणाम भाषा कौशल गणितीय दक्षता आत्मविश्वास सामान्य ज्ञान एवं लेखन तथा पढ़ने की क्षमता आज का स्तर काफी अच्छा है सरकारी स्कूलों में एक तो मानक से आधे भी शिक्षक नहीं है कुछ स्कूलों में शिक्षक के अभाव में ताले लटक रहे हैं तथा लगभग 40% स्कूलों में एकल अध्यापक है सोचने की बात है कि क्या एक अध्यापक सभी विषय को कुशलता से पढ़ सकता है अगर पढ़ भी लेगा तो क्या एक साथ सभी पांच कक्षाओं को पढ़ा लेगा उस पर भी सूचना प्रेषण मिड डे मील जैसे दैनिक उत्तरदायित्व की पूर्ति आदि का भार। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि पैरा टीचर शिक्षामित्र की शिक्षा से कोई मित्रता नहीं है शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही सरकार ने टाल मटोल करके विज्ञापन के बाद भी कई वर्षों तक भारतीयों को लटकाए रहती है समय पर सही निर्णय नहीं लिए जाते जिससे अभ्यर्थियों कोर्ट आदि में जाते हैं फलस्वरूप चयन में विलंब होता है और तो और प्रशिक्षित बेरोजगारों की संख्या को देखते हुए सरकारें बारबार विज्ञापन जारी कर इसे आय का नया स्रोत बना रही है होना यह चाहिए कि एक बार पारदर्शी नीति का चयन कर उसे कड़ाई से लागू किया जाए सरकार बदलने पर बार-बार चयन प्रक्रिया में परिवर्तन ना किया जाए ताकि समय से सभी कक्षा/विषय/बच्चों को सही अनुपात उपयुक्त शिक्षक मिल सके अन्याथा स्कूलों से पास होकर निकलने वाले बच्चों की स्थिति शिक्षित बेरोजगारों की फौज मात्र बनकर रह जाएगी।

सुझाव

1- केंद्र सरकार राज्य सरकारों से अभिलंब मानक के अनुरूप छात्राओं की संख्या के अनुपात में प्रशिक्षित स्थाई शिक्षकों भर्ती चयन को पूर्ण करें।

2- प्रत्येक वर्ष में रिटायर होने वाले शिक्षकों प्रमोशन से रिक्त होने वाले एवं नवीन विद्यालयों में सृजित होने वाले पदों के सापेक्ष पहले से चयन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाए ताकि विद्यार्थियों को समय पर शिक्षक उपलब्ध हो सके।

3- बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो उच्च अधिकारियों के से संपर्क कमीशन या राजनीतिक पकड़ के कारण विद्यालय नहीं जाते कुछ शिक्षक आपस में अदल बदल कर एक दूसरे की सहमत से

Vol-4, Issue-2 April - June 2026 E-ISSN: 2584-2900

गैर हाजिर रहते हैं और पकड़े जाने पर भी ले देकर छूट जाते हैं उनके निष्कासन की ठोस नीति बनाई जानी चाहिए।

4- शिक्षक चयन के लिए ठोस विवाद रहित नीति बनाई जाए जिसमें सत्ता परिवर्तन या राजनीतिक फायदे के लिए परिवर्तन न किए जा सके साथ ही सरकार द्वारा हाई कोर्ट को अनावश्यक हस्तक्षेप न करने के लिए कोई कानूनी हलफनामा में आदि दे यदि कोई विवाद आ ही जाए तब प्रथम वरियता एक दो सप्ताह में फैसला दिया जा सके।

5- प्रत्येक स्कूल में कागजी पूर्ति की जिम्मेदारी शिक्षामित्र को या फिर प्रत्येक 10 विद्यालय में एक लिपिक की नियुक्ति कर कराई जाए ताकि शिक्षक को शिक्षक एवं छात्रों की अध्ययन कुशलता के लिए जवाब देही मनाया जा सके।

6- शिक्षकों के स्कूल आवंटन में उनके विषय का ध्यान दिया जाए जिसमें कम से कम एक विज्ञान एक कला एवं एक भाषा शिक्षक आवश्यक हो।

7- प्राइवेट विद्यालयों स्कूलों में अध्यनरत 10 शिक्षकों के वेतन स्थायित्व व अन्य सुविधाओं के लिए ठोस नीति बनाने के साथ उन्हें कड़ाई से लागू किया जाए।

8- प्राइवेट विद्यालय/स्कूलों में अध्यनरत शिक्षकों के कम वेतन को दृष्टिगत रखते हुए कुछ अनुदान भत्ता राशि सरकार द्वारा उनके खातों में प्रत्येक माह स्थांतरित की जाए।

9- दूसरे राज्यों से घर बैठे प्रशिक्षण की डिग्री लेने वालों को अपात्र मानते हुए शिक्षक चयन में मौका नहीं देना चाहिए क्योंकि यदि वह योग्य होता तो अपने राज्य की सीटों पर नाम अवश्य ले आता, इसी प्रकार इग्नू/राजऋषि टंडन, भोज आदि विश्वविद्यालय से दूरस्थ माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को मौका ना दिया जाए क्योंकि एक तो अधिकांश अभ्यर्थी फर्जी शिक्षक अनुभव पत्रों के माध्यम से प्रवेश लेते हैं दूसरा कारण यह प्रशिक्षण ही उन सेवारत शिक्षकों के लिए है जो अपरिशिक्षित है।

10-प्रत्येक कक्षा के पाठ्यक्रम को मांसिंक एवं सप्ताहिक खंड़ों में वितरित कर शिक्षण कराया जाए।

11-प्रत्येक स्कूल के कमजोर से कमजोर छात्रों को कम से कम कितना पढ़ना लिखना एवं गणतीय कार्य आना चाहिए तय करते हुए इसकी समयसमय पर चक्रानुसार जांच करनी

चाहिए सही परिणाम न मिलने वाले स्कूलों के शिक्षकों को वेतन वृद्धि में रोक प्रमोशन में रोक तथा प्रतिकूल प्रविष्टि आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए 3 वर्ष में सुधार न आने पर शिक्षकों को पदच्युत किया जा सके इस भय से शिक्षक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करेंगे।

निष्कर्ष

प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक शिक्षा में योगदान भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए एक युगांतरकारी कम है जिसे अब समझ शिक्षा अभियान 2018 में समाहित कर दिया गया है इसका मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है सबसे बड़ा निष्कर्ष है कि इसने शिक्षा को हर घर के दरवाजे तक पहुंचा है आज 98% ग्रामीण क्षेत्रों में एक किलोमीटर के भीतर एक प्राथमिक विद्यालय है इसने लिंग और सामाजिक भेदभाव को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है इस अभियान के कारण स्कूल में बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है विशेष रूप से लड़कियों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया है विद्यालय के भवन पक्के बनाए गए शौचालय पेयजल मिड डे मील जैसी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई जिससे बच्चे रख सके और उन्हें प्रोत्साहन मिल सके लेकिन कमियां अभी भी देखने को मिल रही है योग्य शिक्षकों की कमी इंटरनेट की व्यवस्था का अभाव बायोमेट्रिक उपस्थिति का अभाव बच्चों को विद्यालय भेजने तक सीमित नहीं होना उनका योग एवं संस्कारी विद्यार्थी बनाना है शिक्षा व्यवस्था पर अभी सरकारी तंत्र और प्राइवेट पर पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है शिक्षकों का शोषण भी हो रहा है जिससे शिक्षा प्रभावित होती है शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बने बनाने की आवश्यकता है सभी शिक्षक पढ़ाया और सभी विद्यार्थी पढ़े तो शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध सुधर सकता है लेकिन शिक्षा व्यवस्था के प्रबंधन में भ्रामक मान्यताओं के कारण सुधार नहीं हो पाया अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया है जिसमें बहुत ही अच्छे मानक तय किए गए हैं अतः अभिलंब इस नवीन कानून को यथार्थता के धरातल पर उतर जाना चाहिए ताकि देश की नई पीढ़ी सुसिश्चित कार्य कुशल एवं आत्मनिर्भर बैंड देश के विकास में योगदान दे सके

(INTERNATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)

Impact Factor SJIF 2025 – 5.306

Vol-4, Issue-2 April - June 2026 E-ISSN: 2584-2900

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. एसपी गुप्ता उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान शारदा प्रकाशन इलाहाबाद
2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सर्व शिक्षा अभियान लखनऊ
3. जगदीश स्वरूप केमिस्ट्री ट्यूशन ऑफ इंडिया भाग 2 डंडेलवाला पब्लिकेशन इलाहाबाद
4. महाभारत वेदव्यास गीता प्रेस गोरखपुर
5. वार्षिक संदर्भ ग्रंथ भारत नई दिल्ली सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार